[Mr. Speaker]

attention notice has been given by only one friend. It is an important question I know, and many of you have your own doubts and you would like to put questions, but you can resort to some other method to elicit information. But on this call attention the system has been that only those who call the attention of the Minister are called. Therefore, there is no use shouting now. Please adopt some other method for eliciting this information.

Shri S. M. Banerjee: We can ask for information.

Mr. Speaker: Mr. Banerjee always rises on a point of order or point of information, it is both. I know you have a point of order or something, but I will not allow the Minister to answer. I would request only Mr. Panigrahi, the person who has called attention, to put the question.

Shri Chintamani Panigrahi: Before that, I may submit that this is a matter of grave concern to this House, all the members are interested in this. Therefore, please allow three or four other supplementaries of others.

Mr. Speaker: What are you talking? You need not assist others. If you want to put a question, you put. You need not speak for the House. It for is others to take care of themselves.

Shri Chintamani Panigrahi: I would like to know....

Mr. Speaker: I am not sure whether you want to know anything at all.

Shri Chintamani Panigrahi: . . . when this concession was granted to the Birlas, and whether, because there is shortage of electricity in Rajasthan, the demands of other factories who wanted this electricity were not met and preference was given to Birlas. As the Minister has tried his best, because of his guilty conscience, to explain in detail these things, I would like to know whether the hon. Minister would at least place before the House the agreement with Birlas so that we can know the information in detail and discuss it in the House, because the tiger has been caught in its own den now.

Dr. K. L. Rao: I would like to say that there is no agreement with Birlas. We have nothing to do with Birlas in this matter. There is no concession at all. I am sorry that in spite of my explanation and the whole statement he has raised the question of concession or agreement. All that we have done here is to waive the excise duty on the high speed diesel oil that is used. The amount of power that is produced can be taken by anybody if he pays 35 paise, there is no restriction on that. In fact, if other industrialists also come forward to pay 35 paise, we are prepared to give the power to everybody.

12.49 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रिवलेज मोशन का प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । आपको मालूम है कि देश में पिछले 6 महीनों से गोवंश की हत्या कानूनन बन्द हो—यह आन्दोलन चल रहा है और केवल दिल्ली में ही लगभग 25 हजार आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, इन के अलावा कई दर्जन लोग शहीद भी हो चुके हैं, सरकार की गोलियों से और सरकार की काली कोठरियों में । अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन अब भी चल रहा है और 7 नवम्बर को जो आन्दोलन हुआ, वह तो हुआ ही लेकिन उसके साथ साथ 7 नवम्बर के काण्ड में एक और गऊ की हत्या हो गई—वह थे श्रीमान् गुलजारी लाल नन्दा जी ।

अध्यक्ष महोदय : इस के बाद जनता के जिस आन्दोलन का विरोध श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने किया था . . .

Shri Hem Barua (Mangaldai): Is he referring to cow or bull?

Mr. Speaker: He is discussing the arrest of an hon. Member of this House. He is raising a question of privilege on the arrest of an hon. Member of this House.

श्री कंवरलाल गुप्त : लेकिन जनता के जिस आन्दोलन का विरोध श्री सुब्रह्मणयम ने किया था उस को भी निकाल कर फेंक दिया ।

अध्यक्ष महोदय, 5 अप्रैल को दोपहर को तीन बजे इस लोक सभा के एक माननीय सदस्य श्री ब्रह्मानन्द को जब उन्होने सत्याग्रह किया 186 लोगों के साथ पार्लियामेंट के सामने जहां 144 दफा लगी हुई है, उन को गिरफ्तार किया और उन को ट्रक में बैठा कर ले गये । बाद में उन्हें ख्याल आया कि यह लोक-सभा के सदस्य हैं, ट्रक से बदलाया, जीप लाई गई और जीप में बैठा कर पुलिस अधिकारियों ने आध, पौन घंटे तो पार्लियामेंट का चक्कर लगाया । कभी पार्लियामेंट के पास आ गये कभी दूर ले गये, उन को घुमाते ले गये और आध घंटे बाद उन को पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में ले गये । वहां पर उन के साथियों के साथ 187 की जो उन की संख्या थी उन को बिठा दिया गया । उन के चारों तरफ पुलिस कांस्टेबुल्स खड़े कर दिये गये । उन के नाम और उन के पते लिखे गये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो रूल्स ग्रोफ प्रोसीज्योर ऐंड कंडक्ट ग्राफ बिजनैस इस लोक सभा का है उस का रूल्स 229 में कोट करना चाहता हूं :

"When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule."

मैं उस से अगला रूल भी आप की सेवा में पढ़ना चाहता हूं :

"When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule."

दफा 144 लगाई हुई है और उस जगह पर उन्होंने सत्याग्रह किया और वह सत्याग्रह करने की सूचना आप को भी अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने दी है । आप को उन का पत्र मिला होगा । वहां उन्होंने नारे लगाये सब सत्याग्रहियों के साथ । झंडे उन के हाथ में थे और पुलिस की कस्टडी में वह जीप में पुलिस स्टेशन में ले आये गये और वहां पुलिस वालों ने उन को बैठाया । उन के चारों ओर पुलिस थी । उन को हिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, वह बाहर नहीं आ सकते थे और उन के ऐड्रेस भी नोट किये गये । अब उस की सूचना अध्यक्ष महोदय, आप को पुलिस को देनी चाहिए थी और फिर आप सदन् को देते लेकिन यहां के जिला अधिकारियों ने उस की सूचना इस सदन् को या हमारे स्पीकर महोदय को नहीं दी । न उन की गिरफ्तारी की सूचना दी और न उन की रिहाई की सूचना दी । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इस सदन् का असम्मान हुआ है । मेरी आप से प्रार्थना यह है कि जिला अधिकारी को या

[श्री कंवर लाल गुप्त]

उस पुलिस अफसर को यहां पर बुलाया जाय या यह मामला प्रीविलैज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं और वह यह कि शायद मंत्री महोदय यह कहें कि कोई लिखावट में चीज नहीं है, कोई आर्डर लिखा हुआ नहीं है । अब अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार जब सत्याग्रही होता है तो लिखा हुआ आर्डर नहीं होता । स्वामी जी ने सत्याग्रह किया लेकिन ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ हुआ और हमारे साथी श्री बलराज मधोक के साथ हुआ और भी सैकड़ों लोगों के साथ हुआ कि जिनको गिरफ्तार कर के जेल में भेज दिया गया लेकिन किस जुर्म में भेजा गया किस तरह से भेजा गया कोई वारन्ट नहीं, पूछताछ नहीं, सीधे जेल में भेज दिया गया । उस के लिए तो ओरल आर्डर हो सकता है, लिखावट में आर्डर होना जरूरी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो एक डिटैंशन शब्द है उस की भी परिभाषा आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं । लीगल टर्म्स ऐंड फ्रेजेज में डिटैंशन की जो परिभाषा कानून में की गई है उस का मतलब यह है कि अगर किसी की आजादी के ऊपर आप आघात करते है, जो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता है उस पर रोक लगाते हैं चाहे वह एक घंटे के लिए हो चाहे वह दो घंटे के लिए हो तो वह डिटैंशन माना जाता है । इस तरह के बहुत सारे कोर्टस के केसेस भी हैं, हाईकोर्ट का जजमैंन्ट भी हैं और मैं यह आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"Detention means keeping back. This may take place either by physical force......

Mr. Speaker: That is accepted by everybody. There is no dispute about the meaning of detention.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): They might say, he was not detained.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं यही कहना चाहता था कि मुझे लगता है कि यह दिल्ली की पुलिस की गलती है । मैं आप को बतलाऊं कि हाईकोर्ट ने हमारे केस में जजमेंट दिया कि पुलिस ने गलत कार्यवाही की है और यहां तक उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ने भी झूठा एफेडैविट फाइल किया पुलिस के कहने पर । वह उस हाईकोर्ट के आर्डर में लिखा हुआ है । हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये कि इस तरह से काम नहीं होना चाहिए लेकिन सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की । लेकिन दिल्ली की पुलिस मालूम होता है बदलते हुए हालात में बदलना नहीं चाहती लेकिन अध्यक्ष महोदय उन को बदलना चाहिए । उन को अपने तौर और ऐतवार बदलने चाहिएं । मैं कहना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि अधिकारी इस बात का बचाव लें कि डिटैंशन नहीं हुआ । अब डिटैंशन किस को कहते हैं वह मैं पढ़ कर पूरा आप को बतलाना चाह रहा था :

"Detention means keeping back. This may take place either y physical force, that is to say, the person detained is kept back by physical force or threat or it may be due to deception practised on the person concerned or it may be due to inducement or persuasion, that is to say, a rosy picture may be painted before the person concerned."

अब अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने उनको डिटेन नहीं किया तो वहां पुलिस स्टेशन पर अधिकारी उन्हें कोई दावत खिलाने तो ले नहीं गये थे । अब अगर उन्हें झूठ-मूठ बहका कर भी पुलिस स्टेशन पर ले गये कि वहां तुम्हें दावत खिलाई जायगी तब भी यह डिटैंशन है । इस हिसाब से वह एक रोजी पिक्चर थी लेकिन उन्होंने सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह करके वह वहां गये । उन को बिठाया गया

पुलिस की कस्टडी में वहां पर उन के चारों तरफ पुलिस वाले तैनात थे। उन के नाम व पतें लिखे गये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आप से यह प्रार्थना करूंगा कि यह सारा मामला प्रीविलेज कमेटी को सौंप देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब स्वामी जी 30 मार्च से धरना दे रहे हैं और वह जिस उद्देश्य के लिए धरना दे रहे हैं उस से तो किसी का मतभेद हो सकता है लेकिन वह भारत के नागरिक हैं और संसद् के सदस्य हैं। क्या दिल्ली की पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी नागरिक को और किसी भी संसद् सदस्य को जब चाहे तब कहीं से भी उठा कर ले जायं। जितने घंटे चाहें अपनी हिरासत में रक्खें और जब चाहें उन को छोड़ दें। अगर दिल्ली की पुलिस ने उन को हिरासत में लिया था तो उस की सूचना आप को क्यों नहीं दी गई? उन को हिरासत से छोड़ दिया तो उस के बारे में आप को जानकारी क्यों नहीं दी गई या गृह मंत्री महोदय ने दिल्ली की पुलिस को यह छूट दे दी है कि वह मनमानी करे, जब चाहे किसी को पकड़ कर ले जाय और जब चाहे किसी को छोड़ दे। अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है। गृह मंत्री महोदय दिल्ली की पुलिस की रक्षा करने की कोशिश न करें। अगर इस मामले में कोई गलती हुई है तो उन्हें दिल्ली की पुलिस की तरफ से सदन से माफी मांगनी चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : पूर्व इस के कि गृह मंत्री जी इस के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी किसी सामान्य नागरिक की नहीं हुई है। जब यह चीज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गयी है और सारे देश को पता लग गया कि स्वामी ब्रह्मानन्द एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी हुई, सारे देश को पता लगने के बाद आश्चर्य इस बात का है कि जिन सदस्यों के स्वाभिमान और गौरव के रक्षक आप हैं उन को गृह मंत्रालय की ओर से या दिल्ली की पुलिस की ओर से किसी तरह की सूचना न देना एक बड़ी अनुचित बात है।

यह आपका नहीं सारे सदन का और संसद् सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय।

13 hrs.

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): Sir, I will place my statement on the oral report that I have received from the officers concerned of the Delhi Administration. I got intimation of this Privilege Motion sometime yesterday evening.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस के माने यह कि पहले से ही गृह मंत्री जी कह देना चाहते हैं कि यह सच है या झूठ है इस की वह खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। उन को जो कुछ पुलिस से मिलेगा वह उसे यहां पढ़ कर सुना देना चाहते हैं। सब से पहले मैं जानना चाहता हूं कि उन के दिमाग में क्या है। वह इस तरह से नहीं पढ़ सकते। या तो आप उन को मना कीजिये इस तरह से बोलने के लिये . .

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। हकीकत की बात है। और जैसी हकीकत मेरे पास है वह मैं आप के सामने रख रहा हूं। मेरे दिमाग की कोई बात नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : उन का बिल्कुल सीधा वाक्य है कि मेरा जवाब आधारित है उस रिपोर्ट पर जो पुलिस से मुझ को मिली है। इस के क्या माने होंगे? इस में कहीं कोई भी किसी तरह का . . .

Mr. Speaker: After all, the Home Minister of India is not going to personally enquire into these things. Only through his officers he conducts the enquiry. That is what he means. Even then it does not mean that the Home Minister is not responsible. If something happens in Assam he cannot run up there and get the information. He only gets the information through his officers.

डा० राम मनोहर लोहिया : उन के आफिसर्स, पुलिस की रिपोर्ट ।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi): Then he need not say that it is the information he has received. It is his information. We are not concerned with the source of his information. We are concerned with the information that he gives.

Shri Y. B. Chavan: I do certainly make a distinction of these things, because after hearing these reports I could not make any special further enquiry on the matter because I received this intimation yesterday afternoon.

डा० राम मनोहर लोहिया : तो अभी मत करने दीजिये, अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं।

Shri Y. B. Chavan: Whatever information I have got I am giving here. I can take responsibility for a certain action which I ordered. If I make an inquiry and if I accept the verdict of the inquiry, then it is my responsibility.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जो कहिये पूरी अपनी जिम्मेदारी पर कहिये ।

Shri Kanwarlal Gupta: You can make the report tomorrow.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जरूर जो मैं कह रहा हूं उस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उन की जिम्मेदारी नहीं, तब मुंह से कहने के क्या मतलब हैं यह बतलाइये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरी पूरी जिम्मेदारी है ।

Whatever information I am giving you, I am taking the responsibility for it. Therefore, my report is that in the afternoon of 5th April, 1967 Shri Bramhanandji, M.P., was sitting in the round-about to the north of Parliament House. He was joined by about 150 persons for a demonstration against cow slaughter. The demonstrators were peaceful. At about 3.00 p.m. Shri Bramhanandji and other demonstrators of their own accord got into three police vehicles that were there.

Shri A. B. Vajpayee: Of their own accord?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय ...

Shri Y. B. Chavan: I am telling you, the impression that I got....

Shri A. B. Vajpayee: This is fantastic.

Shri Y. B. Chavan: It may be fantastic. From the facts that I have received it appears that these people really were doing satyagraha for getting arrested and the police refused to arrest them. That seems to be the impression that I get from the report of the case. It went on ...... (*Interruption*).

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं, यह हमारे विशेषाधिकारों का मामला है, सदन के विशेषाधिकारों का सदन के एक एक सदस्य के विशेषाधिकारों का मामला है. अगर मंत्री महोदय जानकारी दे रहे हैं तो पूरी तरह से बातों के बारे में पता

लगा ले क्योंकि जो विशेषाधिकारों का उल्लंघन अभी तक दिल्ली के अफसरों ने किया है मंत्री महोदय भी उस में शामिल हो जायेंगे। अगर वह उन की कही हुई बातों को यहां दोहराना चाहते हैं तो दोहराने से पहले वह पता लगा लें कि कार्यवाई क्या है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तो मुझ को वक्त दिया जाय।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम वक्त देने के लिये तैयार हैं।

Mr. Speaker: I think it would be better if we allow some more time. Further, tomorrow is a working day. Therefore, we will take it up tomorrow. Now we will adjourn for lunch.

13.05 hrs.

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock)

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Buta Singh (Rupar): Sir, we could not hear the bell in the Central Hall.

Mr. Deputy-Speaker: Papers to be laid on the Table. Shri Morarji Desai.

14.0½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT (CIVIL) 1967

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(1) Audit Report (Civil), 1967, under article 15(1) of the Constitution.

(2) Appropriation Accounts (Civil), 1965-66.

SALT CESS (AMENDMENT) RULES, ETC.

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi) (On behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmad): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Salt Cess (Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. S.O. 3592 in Gazette of India dated the 26th November, 1966, under sub-section (3) of section 6 of the Salt Cess Act, 1953. [*Placed in Library. See* No. LT-286/67].

(2) (i) A copy of the Annual Report of the Triveni Structurals Limited, New Delhi, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [*Placed in Library. See* No. LT-287/67].

(3) (i) A copy of the Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [*Placed in Library. See No.* LT-288/67].

(4) (i) A copy of the Annual Report of the National Instruments Limited Calcutta, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.